



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

9 अप्रैल 2026

आरबीआई ने सीमापारीय आवक के त्वरित भुगतान को सुगम बनाने वाले दिशानिर्देशों से संबंधित परिपत्र जारी किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज, सीमापारीय आवक के त्वरित भुगतान को सुगम बनाने वाले दिशानिर्देशों से संबंधित एक परिपत्र जारी किया।

आरबीआई ने 29 अक्टूबर 2025 को इस विषय पर एक परिपत्र का मसौदा जारी किया था, जिसमें हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी गई थी। परिपत्र के मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रिया की जांच की गई है तथा उसके अनुरूप संशोधनों को परिपत्र को अंतिम रूप देते समय उसमें उचित रूप से शामिल किया गया है। परिपत्र के मसौदे पर प्राप्त प्रमुख प्रतिक्रियाओं के संबंध में विवरण [अनुलग्नक](#) में दिया गया है।

इस परिपत्र का उद्देश्य सीमापारीय आवक के भुगतान में पहचानी गई कतिपय रुकावटों को दूर करना है, ताकि भुगतान संबंधी सूचना और लाभार्थी के खाते में फंड जमा होने संबंधी जानकारी समय पर प्राप्त की जा सके।

(ब्रिज राज)

मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/56